

राजस्थान सरकार
वित्त (G&T) विभाग

क्र.एफ 4(1)वित्त/SPFC/2013

दिनांक:- 06-07-2020

समस्त विभागाध्यक्ष,
राजकीय विभाग/निगम/मण्डल
राजस्थान सरकार


विषय:- राज्य लोक उपापन पोर्टल हेतु, आपके विभाग के नोडल ऑफिसर सूचना प्रेषित करने बावत्

महोदय,

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 राज्य में दिनांक 26 जनवरी 2013 से लागू हैं। उक्त अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत उपापन से संबंधित सूचनाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशित/अपलोड किये जाने में समन्वय का दायित्व विभागाध्यक्ष द्वारा नामित नोडल अधिकारी द्वारा वहन किया जाता है।

राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (एसपीएफसी) में संधारित विभागाध्यक्षों/नोडल अधिकारियों के रजिस्टर को अपडेट किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में विभागाध्यक्षों व नोडल अधिकारियों की सूचना 10 जुलाई 2020 तक भिजवाने का श्रम करावें व सूचना की एक प्रति cao.spfc@rajasthan.gov.in पर भी प्रेषित कराने का श्रम करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,

Information regarding Head of Departments & Nodal Officer

S.No.	Name of Department	Head of Department				Nodal Officer			
		Name	Designation	Telephone No.	e-mail I.D.	Name	Designation	Telephone No.	e-mail I.D.